निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 108/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. दादू द्वारा श्री दादू दयाल जी महाराज विकास समिति जिस्टर्ड संस्था कमांक 312/20116-17 कार्यालय ग्राम सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये सचिव हीरालाल (धीरावत) मीना पुत्र श्री मंगलराम मीना निवासी सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी आमेर श्री लक्ष्मीकान्त कटारा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
2. रामदयाल दास तथाकथित चेला आत्माराम जाति दादूपंथी, निवासी कुशलनगर, सांगानेर जिला जयपुर (फौत दौराने दावा)।

   2/1.पुरूषोत्तम दास चेला रामदयाल दास जाति दादूपंथी, निवासी कुशलनगर, सांगानेर, जयपुर।
3. श्रीमती अनिता सिंह कुलहरी पत्नी श्री जगदीश चन्द कुलहरी निवासी डी-666, मालवीय नगर, जयपुर ।
4. खेमचन्द मान पुत्र श्री घासीराम मान जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट मीर, तहसील खेतडी, जिला झून्झुनू ।
5. श्रीमती शान्ती देवी धर्मपत्नी श्री दुर्गादास कुलहरी जाति जाट, निवासी ग्राम पोस्ट कुलहरियों की ढाणी, वाया बिसाउ, जिला झून्झुनू । हाल निवासी डी-666, मालवीय नगर, जयपुर ।
6. मैसर्स पिंक सिटी एग्रो इंडस्ट्रीज जरिये भागीदार :-

   6/1.सोमकरण सैनी पुत्र श्री गोविन्द नारायण सैनी जाति सैनी, निवासी मालवीय नगर, जयपुर

   6/2.अनिल सोलंकी पुत्र श्री सोहन लाल जाति क्षत्रिय, निवासी प्लाट नं. 132-133 केशव विहार, गोपालपुरा, जयपुर ।

   6/3.दुल्हेराम मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 17, दुर्गा विहार, मालवीय नगर, जयपुर ।
7. श्रीमती सोनिया मीणा पत्नी श्री दुल्हेराम मीणा जाति मीणा, निवासी मकान नं. 17, दुर्गा विहार मालवीय नगर, जयपुर
8. ट्रस्ट मन्दिर श्री सीताराम जी दयाल जी, माताजी ग्राम सवाई गैटोर जरिये सचिव गोपाल खाडू, निवासी सवाई गैटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर ।
10. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव कार्यालय जेडीए, जे एल एन मार्ग जयपुर ।

अप्रार्थीगण

अन्तरण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर वाद संख्या 80/2019 (/2020) ब उनवानी दादू द्वारा श्री दयाल जी महाराज विकास समिति बनाम रामदयाल दास व अन्य ।

जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री रामजीलाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6/3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 80/2019 (/2020) व उनवानी दादूद्वारा श्री दयाल जी महाराज विकास समिति बनाम रामदयाल दास व अन्य बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 6/3 की ओर श्री सुबोध कुमार जैन अधिवक्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी वाद प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में प्रस्तुत किया था जिसमें अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये एवं अप्रार्थी संख्या 7 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुये और दो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का पेश किये। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों प्रार्थना पत्रों को निस्तारण करते हुये धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में आदेश फरमाये कि " प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किये जाने पर पाया कि न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर में विचाराधीन वाद 204/2012 पूर्व मे पेश किया गया है तथा विचाराधीन वाद 108/2016 वाद में पेश किया गया है। इस कारण वकील प्रतिवादी 7 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी स्वीकार किये जाने योग्य उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी न्याय हित में स्वीकार किा जाता है। विचाराधीन वाद को पूर्ववर्ति वाद संख्या 204/2012 के साथ सुनवाई हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर को भिजवाया जाता है। उभय पक्षकारान को सूचित किया जाता है। दिनांक 21–8–2019 को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर ने आदेश फरमाये कि पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर से स्थानान्तरित होकर कर पेश हुई । वकील फरीकेन उपस्थित है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही मूल वाद संख्या 204/2012 ट्रस्ट मन्दिर श्री सीताराम जी बनाम आत्माराम के साथ दिनांक 03.09.2019 को पेश हो । उक्त प्रकरण में किसी प्रकार से प्रोसिडिंग नहीं की गई तथा पत्रावली को न्यायालय उपखड अधिकारी आमेर को वाद संख्या 204/2012 ट्रस्ट मन्दिर श्री सीताराम जी बनाम आत्माराम के साथ प्रेषित कर दी गई। जिसको दिनांक 19–11–2020 तक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के द्वारा न तो दर्ज किया गया तथा न ही किसी प्रकार की उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही की गई। उपखण्ड अधिकारी आमेर उक्त उनवानी प्रकरण को बिना दर्ज किये तथा बिना कन्सोलिडेट किये तथा बिना सुनवाई के ही वाद पत्र के साथ

जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा में अन्तिरिम निषेधाज्ञा को खारिज करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 6/3 दुल्हेराम मीण ने विवादित भूमि जो कि मन्दिर माफी दादूदयाल जी महाराज की भूमि थी जिसको फर्जकारी कर गलत तरीके से अपने नाम से दर्ज करवायी है, ने उपखण्ड अधिकारी को काफी प्रभावित कर रखा है तथा वह येनकेन प्रकारेण वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवा कर भूमि पर जबरन कब्जा कर बेचान करना चाहता है तथा गांव में आकर धमकी देता है कि मै उपखण्ड अधिकारी आमेर से अपनी मनमर्जी का आदेश करवाउंगा तथा उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर दूंगा। प्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर का व्यवहार निष्पक्ष न्याय करने का न होकर येन केन प्रकारेण धारा 151 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पर आदेश कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तरिम निषेधाज्ञा को खारिज करने पर आमदा है। अप्रार्थी संख्या 6/3 दुल्हेराम मीणा ने पहले भी कई प्रकरणों में पीठासीन अधिकारियों को अपने प्रभाव मे लेकर गलत फैसले करवाये है जिनमें दुल्हेराम मीणा व पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ ए सी बी में कार्यवाकी चल रही है। उक्त प्रकरण का मूल सुनवाई क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को है तथा आज तक उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जबाब दावा व जबाब टी आई पेश नहीं किया गया है तथा उक्त प्रकरण में कुछ अप्रार्थीगण की मृत्यु हो चुकी है जिनके कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाजवूद भी उपखण्ड अधिकारी आमेर प्रार्थी के अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने की धमकी दे रहे है। इससे प्रार्थी को पूर्ण आशंका है कि उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय से निष्पक्ष न्याय करने की सम्भावना बहुत कम प्रतीत होती है। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्रार्थी को न्याय मिलने की उम्मीद नही है। इसलिए प्रार्थी उक्त विचाराधेन वाद को अन्त्र न्यायालय मे स्थानान्तरण करवाना चाहता है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 6/3 के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या 7571/2019 उनवानी साझेदारी फार्म मैसर्स पिंक सिटी एग्रो बनाम सरकार व अन्य मे निर्णय दिनांक 03.03.2020 के अनुसार सहायक कलक्टर आमेर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 204/2012 ब उनवानी ट्रस्ट मन्दिर सीताराम जी बनाम आत्माराम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में स्थानान्तरित किया गया है। इसलिए इस प्रकरण को मान्य न्यायालय द्वारा अन्यत्र मुन्तिकिल नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने स्थगन प्राप्त कर रखा है, इसलिए प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. विवादित भूमि से सम्बन्धित पूर्ववर्ति वाद संख्या 204/2012 ट्रस्ट मन्दिर सीताराम जी बनाम आत्माराम सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष विचारधीन था। इसलिए भूमि से संबंधित दूसरा वाद प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पूर्ववर्ति मूल वाद के संलग्न कर एक साथ सुनवाई किये जाने हेतु सहायक कलक्टर आमेर को भिजवाया गया है । तत्पश्चात

जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

मूल वाद में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल के प्रकरण संख्या 7571/2019 आदेश दिनांक 03.03.2020 से सहायक कलक्टर आमेर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 204/2012 व उनवानी ट्रस्ट मन्दिर सीताराम जी बनाम आत्माराम को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया गया है और दूसरा प्रकरण इस मूल वाद के हमफिता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में किये जाने के पश्चात उससे संबंधित और हमफिता प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानसार प्रकरणों पर उभय पक्ष की सुनवाई की जाकर गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर